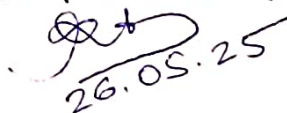


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) रवीन्द्र कुमार पिता- मदन प्रसाद साहु 2.) रंगीला देवी पिता-कमल साव 3.) रौशन कुमार पिता- प्यारी साव 4.) केदार साव पिता- कुमार साव 5.) संदीप कुमार पिता- रामेश्वर साव एवं 6.) पंकज कुमार पिता- मदन प्रसाद ग्राम: कुमरांग-कला, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 52, ग्राम: कुमरांग- कला, (गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि) खाता सं.-116 के अधीन प्रस्तावित खेसरा रकबा सहित - 584/2[0.200], 584/34[0.4300], 584/52[0.070], 584[2.800], 575[0.7200], 584[1.0400], 584[1.4600], 584[1.000], 584[0.800], 584[1.100], 575[0.8300], 575/64A[0.800], 584/27A[0.7500] कुल रकबा: - 12.00 एकड़ (गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti empl Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/notiemplInd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) राँची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (आम्रपाली - चन्द्रगुप्त), सी.सी.एल. के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


26.05.25